

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

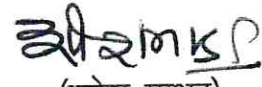
क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-571) अलेसे-I/1120

दिनांक:- 06/09/2022

आदेश

श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (निलम्बित), निलम्बित मुख्यालय-कोषालय, चित्तौडगढ़ के विरुद्ध कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द, राजस्थान, के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/21/2386-88 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा श्री खण्डेलवाल को कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर (ग्रामीण) से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा दिनांक 02.08.2021 को 10,000/- रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने एवं इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 299/2021 दिनांक 05.08.2021 प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को गिरफ्तारी दिनांक 02.08.2021 से निलम्बित किया गया था।

श्री खण्डेलवाल को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री खण्डेलवाल द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

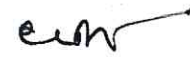

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-571) अलेसे-I/1121-29

दिनांक:- 06/09/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
- 3 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
- 4 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द।
- 5 कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़।
- 6 कोषाधिकारी, उदयपुर (ग्रामीण)।
- 7 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8 श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, मुख्यालय-कोषालय, चित्तौडगढ़।
- 9 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 10 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)